

三

प्रिया विद्या व
संवृक्ता ताप्य,
उत्तर पुदिशा शोषन।

၁၃

प्राप्ति विद्वार, विद्वान् ।

બેદા- ૫૭૫ અનુમાળ

तिथि: दिनांक: १६ वर्ष: २००४

विध्य:- अदान अकादमी पर्सिक स्कूल के लिए निर्जनामुर शाहजहांपुर वाला तो उसका उत्तराधिकारी विद्युली से लेखक डेहु बनापाट्ठा प्रभाण पक्ष द्विये भाग के संदर्भ में।

માત્રાંક

महोदय, उपर्युक्त विषय की आर आपका ध्यान आकृष्ट करत हुये मुझे गड़ लगने का निर्दश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधानसभा को ३०४८० रुपये नईटिली संसद्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उत्तरांशों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

१- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीतण एवं एवं

2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक लदत्य छागा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र०प्र०शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा ।

भारिक शुल्क नहीं लिया जायगा।
संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं हो जायगी और यहि पर्व में विधानसभा आधिकारिक शिक्षा परिषद अथवा बौसिल शिक्षा परिषद से मीम्पत्ता प्राप्त है तथा विधानसभा की संबद्धता केन्द्रीय आधिकारिक शिक्षा परिषद/बौसिल कार दि इण्डियन स्कूल सर्टफिकेट इकाय मिनिस्टर नईटिली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ०३००आधिकारिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मीम्पत्ता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगे।

15।

दूसरा वैक्षिक एवं "सिद्धान्ततर रमेशरियों" को द्वारा जीप सहायता प्राप्त
रिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुभव्य देतनमानों तथा अन्य भल्लो
से कम देतनमान तथा अन्य नहीं दिये जायेंगे।

16।

कर्मचारियों की तेवा इसी बाबी जापेगी और उन्हें तहायता प्राप्त
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुभव्य
तेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

17।

राज्य सरकार द्वारा सभ्य-संस्थ पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे
तस्था उनका पालन करेगी।

18।

विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

19।

उपर शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि
किसी सभ्य पह वाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं
किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की दूँक या शिक्षिता बरती
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापत ले लिया
जायेगा।

भद्रीय,

सिंह प्रकाश गुप्त
संयुक्त तत्त्विक।

पूर्णसंध्या एवं दिनांक तटीय

प्रतिविधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश गखनऊ।

2-

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली।

3-

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर।

4-

निरीक्षक, अंग भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

5-

प्रबंधक, अकाल ज्ञानदीर्घ पञ्चिक रद्दूग कर्जरी, निरंजनपुर शाहजहांपुर।

6-

गार्ड दुँक।

आङ्गा के,

सिंह प्रकाश गुप्त
संयुक्त तत्त्विक।